<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी.ए./1388/2005/टोंक</u>

1– गोविन्दा पुत्र रघुनाथ

2– प्रहलाद पुत्र रघुनाथ (मृतक) जरिये वारिसान :–

2/1. श्रीमती प्रेम पत्नी प्रहलाद

2/2. रमेश पुत्र प्रहलाद

2/3. जगदीश प्रसाद पुत्र प्रहलाद

2/4. देवकरण पुत्र प्रहलाद

2/5. पपू पुत्र प्रहलाद

2/6. आशा पुत्री प्रहलाद

2/7. मुन्नी पुत्री प्रहलाद

2/8. सोसर पुत्री प्रहलाद

3. सत्यनारायण पुत्र रघुनाथ (मृतक) जरिये वारिसान :–

3/1. श्रीमती जगदीशी पत्नि सत्यनारायण

3/2. लक्ष्मण पुत्र सत्यनारायण

3/3. लादूराम पुत्र सत्यनारायण

3/4. कालू पुत्र सत्यनारायण) नाबालिग जरिये संरक्षक

3/5. मुकेश पुत्र सत्यनारायण) माता श्रीमति जगदीशी

3/6. बोदू पुत्र सत्यनारायण) पत्नि सत्यनारायण

3/7. धर्मा पुत्र सत्यनारायण)

3/8. गुड्डी पुत्री सत्यनारायण)

3/9. सम्पत पुत्री सत्यनारायण)

3/10. पार्वती पुत्री सतयनारायण)

3/11. पदमा पुत्री सत्यनारायण)

समस्त जाति कुम्हार निवासी अलीनगर तहसील पीपलू जिला टोंक

...अपीलार्थीगण

बनाम

1– राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी बम्बोरी तहसील आमेर जिला जयपुर।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपलू जिला टोंक

...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः
श्री अजीत सिंह अधिवक्ता, अपीलार्थी।
श्री हगामीलाल चौधरी एवं श्री मौहम्मद इकबाल, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांक : 13 फरवरी, 2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 19/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् उद्घोषणा एवं खातेदारी का परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष विरूद्ध अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी के बाबा श्री रूघनाथ पुत्र गणेश ग्राम अलीनगर के निवासी थी, जहां उनकी खातेदारी की भूमि स्थित है जिनके 4 पुत्र यथा – वादी के पिता श्री रामदेव एवं प्रतिवादीगण/अपीलार्थी संख्या 1 लगायत–3 थे। प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी के पिता की मृत्यु, वादी के बाबा के जीवनकाल में ही हो गई थी, वादी की मृत्यु के समय वादी का जन्म नहीं हुआ था तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी की माता ग्राम बम्बोरी जिला जयपुर नाते चली गई। वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 राधेश्याम, श्री रामदेव का ही पुत्र है, उसका विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा निहित है। अतः वादी को भी 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। उक्त वाद का प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वाद कथनों से इन्कार कर कथन किया कि अपीलार्थी के भाई श्री रामदेव पुत्र गणेश का स्वर्गवास संवत 2025 में ही हो गया था जिसकी मृत्यु के 15 दिवस बाद ही उसकी पत्नि जयपुर जिले में स्थित बम्बोरी में नाते चली गई एवं हिन्दू

रीति रिवाज के अनुसार श्री रामदेव की पगड़ी अनुज सत्यनारायण को बांधी गई, अतः वादी श्री रामदेव का पुत्र नहीं होकर ग्राम बम्बोरी के श्री रामचन्द्र का पुत्र है क्योंकि जब रामदेव की पत्नी नाते गयी तब उसके गर्भाशय में वादी नहीं था एवं न ही वादी का जन्म रामदेव के जीवनकाल में हुआ था। चूंकि रामदेव लाऔद फोत हुआ था इसलिए प्रतिवादीगण के पिता रूघनाथ के मरने के पश्चात् उनकी छोड़ी गई आराजियात का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण ही उनके जायज वारिसान एक मात्र होने से हुआ था। इसके पश्चात् पत्रावली इस दम्यान सहायक कलक्टर (मु0) टोंक के समक्ष ट्रांसफर हुई जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29-12-2000 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1/वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने न्यायालय भू-राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22-02-2005 द्वारा अपील अपील खारिज कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29-12-2000 को यथावत रखा। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व कोई तनकी कायम नहीं की है इस कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादी राधेश्याम द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह सिद्ध हो कि वह रामदेव का ही पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकीयात के आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया एवं नाबालिग द्वारा वाद प्रस्तुत करने बाबत तथ्य पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है जो तथ्य स्वयं वादी स्वीकार कर रहा है जैसा कि उसने अपने बयानों में दिनांक 07-4-1992 को अपनी उम्र 22 वर्ष अंकित करवाई है एवं वाद पत्र दिनांक 07-10-87 को प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर बरवक्त प्रस्तुती वाद वादी नाबालिग था एवं उसके द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथमदृष्टया संधारण योग्य नहीं था और दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों

ने नाबालिग का गार्जन नियुक्त भी नहीं किया है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि के कब्जे काश्त बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, न ही वादी स्वयं की साक्ष्य में अथवा किसी भी वादी पक्ष के गवाह की साक्ष्य में यह नहीं कहा कि वादी विवादित आराजियात पर कितने वर्षो से प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खातेदार होकर संयुक्त काबिज चला आ रहा है। वादी के द्वारा बरवक्त बयानों में जिन गवाहों के कथन किये गये है वे भिन्न भिन्न है क्योंकि उन गवाहों से यह प्रतीत होता है कि वादी, रामदेव की मृत्यु के समय 15–16 साल का था तब उसने 5 वर्ष तक खेत बोया था इस बात को 20–25 साल हो गए अर्थात बरवक्त बयान दिनांक 20–7–99 से 35–40 वर्ष पूर्व वादी द्वारा खेत बोना कथन किया है उस समय काश्त करने वाले व्यक्ति का नाम खसरा गिरदावरी में अंकित होता था और वादी के कथनानुसार वादी का जन्म 1960–65 के मध्य होना प्रकट होता है वादी की स्वयं की साक्ष्य में अंकित उम्र के आधार पर वादी का जन्म श्री रामदेव की मृत्यु के दो–ढाई वर्ष बाद होना प्रकट होता है। अन्त में उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों न प्रकरण का गहनता से परीक्षण नहीं कर बल्कि सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित किये है। उनका बहस में यह भी तर्क है कि उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः इन्हें सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करवाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जावें। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2014 आर.बी.जे.(21) पेज 305 (हाईकोर्ट), 1997 आर.आर.डी. पेज 606 तथा 1998 आर.बी.जे.(5) पेज 487 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि राधेश्याम ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक दावा पेश किया कि उसके बाबा रूघनाथ के चार लड़के थे जिसमें श्री रामदेव उनके पिता है तथा तीन प्रतिवादीगण है। श्री रूधनाथ जो कि उसके बाबा है उनके जीवनकाल में ही प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी के पिता रामदेव की मृत्यु हो गई तथा जब श्री रूघनाथ की मृत्यु हो गई तो प्रतिवादीगण ने रूघनाथ की समस्त भूमि नामांतरकरण विरासत के जरिये अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दी जबकि 1/4 हिस्से पर रामदेव के पुत्र होने के नाते प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी का भी हक व हिस्सा है। चूंकि विरासत के नामांतकरण में प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी राधेश्याम का नाम भी आना चाहिए इसलिए वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया तथा

परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों की मौखिक साक्ष्य को लेखबद्ध करते हुए यह पाया कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे यह सिद्ध हो कि प्रत्यर्थी संख्या–1 राधेश्याम, रामदेव का पुत्र नहीं है। गांव के बुर्जुगान तथा प्रत्यर्थी संख्या–1 की माता हरली (पी.डब्ल्यू.3) के बयान के आधार पर भी परीक्षण न्यायालय ने यह पाया कि रामदेव की पगड़ी या तिलक सत्यनारायण के किया गया क्योंकि राधेश्याम का पगड़ी या तिलक के समय तक जन्म नहीं हुआ था, अतः यह स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में तिलक सत्यनारायण के ही किया गया है। दादा की सम्पति पोते का हिस्सा है, विवादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी सम्पति है। अपीलार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावा में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि वाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है, अतः अब अपील के स्तर पर इस बिन्दु को नहीं उठाया जा सकता। उनका कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से सहमति जाहिर करते हुए उनके निर्णय को यथावत रखा है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिसम्मत निर्णय पारित किये है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया।

7– पत्रावली क अवलोकन से यह साफ स्पष्ट है कि विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्वज बाबा श्री रुधनाथ की थी जिनके चार पुत्र थे – रामदेव, प्रहलाद, सत्यनारायण एवं गाविन्दा थे। यह भी पत्रावली निर्विवाद स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–1/ वादी की माता हरली अपने पति रामदेव की मृत्यु के उपरांत बम्बोरी गांव के रामचन्द्र के पास नाते चली गई थी इस तथ्य से दोनों पक्षकारान ने बरवक्त बहस सहमति जाहिर की है।

8– रामदेव की मृत्यु के बाद पगड़ी का दस्तूर रामदेव के भाई सत्यनारायण को रीति रिवाज के अनुसार हुआ, इससे भी दोनों पक्षकरान ने कोई असहमति जाहिर नहीं की है क्योंकि वादी ने भी अपने बयानों में यह जाहिर किया है कि उसका जन्म रामदेव की मृत्यु के 15 दिवस बाद हुआ है।

9– दिनांक 14–4–85 को आस पास के ग्रामों के पंच पटेलों ने मिलकर एक लिखतम में राधेश्याम का 1/4 हिस्सा का हिस्सेदार होने से

सहमति व्यक्त की है जिस पर रामदेव के सगे भाई सत्यनारायण तथा गोविन्दा प्रतिवादीगण के भी हस्ताक्षर है।

10– परीक्षण न्यायालय ने पी.डब्ल्यू 2 घासी व पी.डब्ल्यू 3 राधेश्याम की माता हरली के बयानों से यह सिद्ध पाया है कि वादी राधेश्याम ही मृतक रामदेव का लड़का था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है वे इस प्रकरण पर कतई चस्पा नहीं होते हैं।

11– हमारे विनम्र मत में जब विवादित भूमि रूधनाथ की स्व–अर्जित सम्पति थी तो इसमें उसके चारों पुत्रों का बराबर–बराबर का हक व अधिकार बनता है। प्रतिवादीगण इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं बता पाये है कि उनके भाई रामदेव का प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी राधेश्याम पुत्र नहीं है तो प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गांव की लिखतम के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या–1 राधेश्याम को रामदेव का पुत्र मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। यहां यह भी स्पष्ट है कि रामदेव की पत्नी ने भी अपने बयानों में इस कथन को स्वीकार किया है कि उसके पुत्र राधेश्याम का पिता स्व0 रामदेव ही है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को बहाल रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती होने से हम उसमें इस द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने जो नजीरें पेश की है, वे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

12– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2005 तथा सहायक कलक्टर (मु0), टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–12–2000 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य